कार्यालय—प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com,Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक—2040/12—1 देहरादूनः दिनांकः 10 ~~जनवरी~~ फरवरी, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25—सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः— **जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत रमाड़ी से मनधूरा तक 3.00 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.990 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**
(Online Proposal No. FP/UK/ROAD/155585/2022)

सन्दर्भ :— भारत सरकार की पत्र सं0 0बी.यू.सी.पी./06/79/2023/एफ.सी. दिनांक 27—03—2024।

महोदय,

प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 1496/12—1—2 दिनांक 21—10—2024 से भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र से लगाई गई आपित्तयों की अनुपालन ऑख्या वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 1504/12—1(2) दिनांक 19—12—2024 से इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित की गई है—

क.०सं०	लगाई गई आपत्तियां	उत्तरालेख
1	2	3
1	As per DSS report, proposed area comes to 5.76 Ha. insted of 0.99 Ha. State Government is requested to submit clarification in this regard and upload correct KML file.	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर द्वारा अपने पत्रांक 1496/12—1—2 दिनांक 21—10—2024 से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा मोटर मार्ग का पुनरीक्षित मैप बनाकर ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है। **(संलग्नक—1)**
2	It appears that the complete KML file of the area proposed for diversion (Forest & Revenue) is not uploaded. State Government is requested to upload the complete KML file.	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर द्वारा अपने पत्रांक 1496/12—1—2 दिनांक 21—10—2024 से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र की पूरी KML File अपलोड कर दी गई है।
3-	Location of the muck dumping area is not found marked in the KML file. it is requested to mark the location of the sites proposed for muck dumping in the KML file of the diversion area.	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर द्वारा अपने पत्रांक 1496/12—1—2 दिनांक 21—10—2024 से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा जियोरिफरेंस, टोपोशीट मैप में मक डम्पिंग लोकेशन दर्शा दिया गया है तथा आनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
4	There are total 98 trees those are marked for felling. therefore plantation scheme for 980 trees and location KML file is required to be submitted.	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर द्वारा अपने पत्रांक 1496/12—1—2 दिनांक 21—10—2024 से 980 वृक्षों की वृक्षारोपण योजना संलग्न कर प्रेषित की गई है। **(संलग्नक—2)**
5	The proposed diversion area is 0.99 Ha. or say 1.00 Ha. A site Inspection report (SIR) of DFO is required to be submitted mentioning proper length of road in forest area.	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर द्वारा अपने पत्रांक 1496/12—1—2 दिनांक 21—10—2024 से अवगत कराया है कि उनके द्वारा दिनांक 09—10—2024 को लोक निर्माण विभाग कपकोट एवं उप—प्रभागीय वनाधिकारी कपकोट के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमें उक्त मोटर मार्ग की लम्बाई 1100 मी0 के सापेक्ष 0.99 है0 क्षेत्र पाया गया है। **(संलग्नक—3)**

6	If the proposed diversion area 1.00 Ha. then the CA is requested to be submitted on Non Forest land otherwise CA Scheme along with the KML file, Maps, suitability certificate, etc. shall be submitted over NFL/DFL/Civil soyam etc. land.	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर द्वारा अपने पत्रांक 1496/12–1–2 दिनांक 21–10–2024 से अवगत कराया है कि उनके द्वारा दिनांक 09–10–2024 को लोक निर्माण विभाग कपकोट एवं उप–प्रभागीय वनाधिकारी कपकोट के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमें उक्त मोटर मार्ग की लम्बाई 1100 मी0 के सापेक्ष 0.99 है0 क्षेत्र पाया गया है। **(संलग्नक–3 के अनुसार)**
7	SIR of DFO does not contain proposal details, so SIR in revised format is required to be furnished.	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर द्वारा अपने पत्रांक 1496/12–1–2 दिनांक 21–10–2024 से SIR रिपोर्ट की प्रति संलग्न कर प्रेषित की गई है। **(संलग्नक–3 के अनुसार)**
8	Three alternatives of proposed road with comparatives statements is required to be submitted.	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर द्वारा अपने पत्रांक 1496/12–1–2 दिनांक 21–10–2024 से अवगत कराया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा पहाड़ की विषम एवं भौगोलिक परिस्थिति के कारण तृतीय Alternative एलाईनमेंट किसी भी बिन्दु से ले जाने योग्य नहीं है। पूर्व में विभाग से स्वीकृत एलाईनमेंट में भी दो ही विकल्प रखे गये हैं तथा यह Shortest एलाईनमेंट भी है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में उपरोक्तानुसार प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 यथा संशाधित 2023 के अन्तर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 2050 /12–1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

2– प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

168

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।
Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक – 1504/ 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 19/12/2024.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद– बागेश्वर के विधानसभा कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत रमाड़ी से मनधूरा तक 3.00 तक किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.99 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं0 155585 / 2022।

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की पत्र सं0 8 बी / यू0सी0पी0 / 06 / 79 / 2023 / एफ0सी0 / दिनांक 27.03.2024।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकारण कर प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर के पत्रांक 2105 / 12–1 दिनांक 11.12.2024 सूचित किया गया है, जिसे आपके सूचनार्थ सादर प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय

(डॉ धीरज पाण्डेय)
मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

प्रभारी बागेश्वर
आ॰का॰ करें।
प्र॰व॰सं॰/नो॰
25-12-24

देहरादून 2523
12-1
28-12-24

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email-dfobag-forest-uk.nic.in/ dfo_bageshwar@rediffmail.com
दूरभाष एवं फैक्स नं0: 05963-220249वन मित्र काल सेटर-- 9208008000

पत्रांक 1496/ 12-1-2 बागेश्वर दिनांक :21 / 10 /2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

विषय – जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत रमाड़ी से मनधूरा तक 3.00 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.99 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या–12710/2015)

सन्दर्भ– भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का EDS Dated 27.03.2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा उक्त प्रस्ताव में जो आपत्तिया लगायी गयी थी। प्रस्तावक विभाग द्वारा आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु स0		
1	As per DSS report, proposed area comes to 5-76ha. Instead of 0.99 ha. State Government is requested to submitted clarification in this regard and upload correst KML file.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मोटर मार्ग का पुनरीक्षित मैप बनाकर ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है (संलग्न)
2	It appears that the complete KML file of the area proposed for diversion (Forest & revenue) is not uploaded. State Government is requested to upload the complete KML file.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित क्षेत्र की पूरी KML फाइल अपलोड कर दी गयी है।
3	Location of the muck dumping area is not found marked in the KML file. it is requested to mark the location of the sites proposed for muck dumpling in the KML file of the diversion area.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि KML फाइल एंव जियो रिफरेंश, टोपोसीट मैप में Muck dumping Location दर्शा दिया गया है तथा ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
4	There are total 980 trees those are marked for felling. Therefore, plantation scheme for 980 trees and location KML file is required to the submitted.	980 वृक्षों का वृक्षारोपण योजना संलग्न है।
5	The proposed diversion area is 0.99 ha or say 1.00 ha. A site inspection report (SIR) of DFO is required to be submitted mentioning proper length of road in dorest area.	उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 09.10.2024 को लोक निर्माण विभाग कपकोट एंव उप प्रभागीय वनाधिकारी कपकोट के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमे उक्त मोटर मार्ग की लम्बाई 1100 मी0 के सापेक्ष 0.99 है0 क्षेत्र पाया गया। (SIR report संलग्न है।)
6	If the proposed diversion area become 1.00ha then the CA is required to be submitted on Non forest Land otherwise CA scheme along with the KML file, maps, Suitability Certificate, etc shall be submitted over NFL/DFL/Civil soyam etc land.	उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 09.10.2024 को लोक निर्माण विभाग कपकोट एंव उप प्रभागीय वनाधिकारी कपकोट के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमे उक्त मोटर मार्ग की लम्बाई 1100 मी0 के सापेक्ष 0.99 है0 क्षेत्र पाया गया।

"D:\samany 2018-19\land transfer\letter land tansfare.p.w.d kapkot .docx"

7	SIR of DFO does not contain proposal details, so SIR revised format is required to be furnished.	प्रभागीय वनाधिकारी की SIR Report संलग्न है।
8	Three alternatives of proposed road with comparative statements is required to be submitted.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है। कि पहाड़ की विषम एवं भौगोलिक परिस्थिति के कारण तृतीय Alternatives ऐलाइमेन्ट किसी भी बिन्दु से ले जाने योग्य नहीं है। पूर्व में विभाग से स्वीकृत ऐलाइमेन्ट मे भी दो ही विकल्प रखे गये है। तथा यह Shortest ऐलाइमेन्ट भी है।

भवदीय,

(ध्रुव सिंह मर्तोलिया)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

सामा-4
10/6/2024

UTTARAKHAND

उत्तराखण्ड शासन

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट

E.Mail . eepwdkapkot@rediffmail.com Ph./ Fax No. – 05963.253385 (O)

पत्रांक 1264 /2ई0

दिनांक 05/06/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग बागेश्वर।

विषयः– जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत रमाडी से मनधूरा तक 3.00 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.990 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक सं0 8बी0 / यू0सी0पी0/06/79/2023/एफ0सी0 दिनांक 27.03.2024 **(जो इस कार्यालय में ऑनलाइन दिनांक 22.04.2024 को प्राप्त हुआ)**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा उक्त प्रस्ताव में जो आपत्तियाँ लगायी गयी हैं उनका निम्नानुसार निराकरण कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु सं0	लगायी गयी आपत्तियाँ	आख्या
बिन्दु सं0– 1	As per DSS report, proposed area comes to 5-76Ha. Instead of 0.99ha. State Government is requested to submitted clarification in this regard and upload correst KML file	मोटर मार्ग का पुनरीक्षित मैप बनाव ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है। (म संलग्न)
बिन्दु सं0– 2	It appears that the complete KML file of the area proposed for diversion (Forest & revenue) is not uploaded. State Government is requested to upload the complete KML File.	प्रस्तावित क्षेत्र की पूरी KML फाइल अपलोड कर दी गयी है।
बिन्दु सं0– 3	Location of the muck dumping area is not found marked in the KML file. It is requested to mark the location of the sites proposed for muck dumping in the KML file of the diversion area.	KML फाइल एवं जियो रिफरेंश, टोपोसीट मे में Muck dumping Location दर्शा दि गया है तथा ऑनलाइन अपलोड कर दि गया है।
बिन्दु सं0– 4	There are total 98 trees those are marked for felling. Therefore, plantation scheme for 980 trees and location KML file is required to the submitted.	उक्त मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव 1.00 है से कम इसलिए Plantation Scheme व आवश्यक नहीं है।
बिन्दु सं0– 5	The proposed diversion area is 0.99 ha or say 1.00 ha. A site inspection report(SIR) of DFO is required to be submitted mentioning proper length of road in forest area.	उक्त मोटर मार्ग का Diversion Area is 0.99 I है। प्रस्ताव में पूर्व भी प्रभागीय वनाधिका बागेश्वर द्वारा अपनी Site inspection Repo प्रस्ताव में संलग्न की गयी है तथा ऑनलाइ अपलोड भी की गयी है। सुलभ सन्दर्भ हेतु पु प्रेषित किया जा रहा है।
बिन्दु सं0– 6	If the proposed diversion area become 1.00ha then the CA is required to be submitted on Non forest Land otherwise CA scheme along with the KML file, maps, Suitability Certificate, etc shall be submitted over NFL/DFL/Civil soyam etc land.	उक्त मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव 1.00 है से कम इसलिए CA scheme की आवश्य नहीं है। जिसका प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग् हैं तथा ऑनलाइन अपलोड भी किया गया है

4657
10/6/2024

12-1-2

बिन्दु सं0— 7	SIR of DFO does not contain proposal details , so SIR revised format is required to be furnished.	प्रभागीय वनाधिकारी से सम्बन्धित
बिन्दु सं0— 8	Three alternatives of proposed road with comparative statements is required to be submitted.	पहाड की विषम एवं भौगो परिस्थिति के कारण त Alternatives ऐलाइमेन्ट किसी बिन्दु से ले जाने योग्य नहीं है। प विभाग से स्वीकृत ऐलाइमेन्ट में भी ही विकल्प रखे गये हैं तथा Shortest ऐलाइमेन्ट भी है।

संलग्न—उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में।

भवदीय,

06/06/24

(इ0 अमित कुमार पटेल)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0,

पत्रांक /2ई0 दिनांक /06/2024

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता चतुर्थ लो0नि0वि0 कपकोट को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
कपकोट

डिजिटल मैपः—जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत रमाडी से मनधुरा तक 3.00 किमी0 मोटर मार्ग

SOI Toposheet No: 62C/01

Legend

Muck disposal Sites	Reserve Forest Boundary
Existing Road	Reserve Forest Area
Alternate Road	Forest Range Boundary
Proposed Road	Forest Division Boundary
	Protected Area

0 0.25 0.5 1 1.5 2 Km

Scale-1:50,000

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
कपकोट (बागेश्वर)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट (बागेश्वर)

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

वन क्षेत्र अधिकारी
धरमघर वन क्षेत्र, धरमघर

जियोरेफरेन्स मैपः–जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत रमाडी से मनधुरा तक 3.00 किमी0 मोटर मार्ग

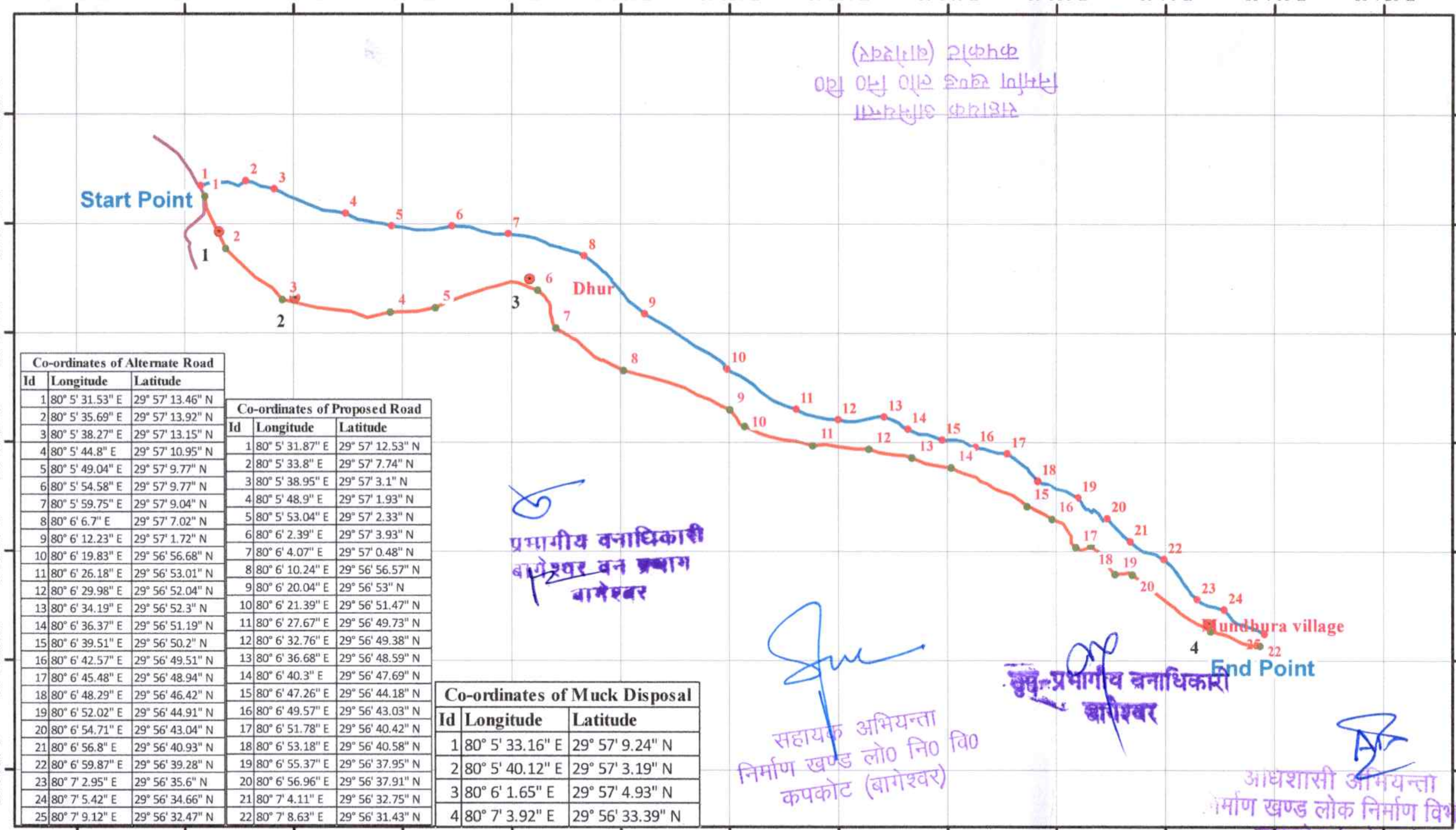

Co-ordinates of Alternate Road		
Id	Longitude	Latitude
1	80° 5' 31.53" E	29° 57' 13.46" N
2	80° 5' 35.69" E	29° 57' 13.92" N
3	80° 5' 38.27" E	29° 57' 13.15" N
4	80° 5' 44.8" E	29° 57' 10.95" N
5	80° 5' 49.04" E	29° 57' 9.77" N
6	80° 5' 54.58" E	29° 57' 9.77" N
7	80° 5' 59.75" E	29° 57' 9.04" N
8	80° 6' 6.7" E	29° 57' 7.02" N
9	80° 6' 12.23" E	29° 57' 1.72" N
10	80° 6' 19.83" E	29° 56' 56.68" N
11	80° 6' 26.18" E	29° 56' 53.01" N
12	80° 6' 29.98" E	29° 56' 52.04" N
13	80° 6' 34.19" E	29° 56' 52.3" N
14	80° 6' 36.37" E	29° 56' 51.19" N
15	80° 6' 39.51" E	29° 56' 50.2" N
16	80° 6' 42.57" E	29° 56' 49.51" N
17	80° 6' 45.48" E	29° 56' 48.94" N
18	80° 6' 48.29" E	29° 56' 46.42" N
19	80° 6' 52.02" E	29° 56' 44.91" N
20	80° 6' 54.71" E	29° 56' 43.04" N
21	80° 6' 56.8" E	29° 56' 40.93" N
22	80° 6' 59.87" E	29° 56' 39.28" N
23	80° 7' 2.95" E	29° 56' 35.6" N
24	80° 7' 5.42" E	29° 56' 34.66" N
25	80° 7' 9.12" E	29° 56' 32.47" N

Co-ordinates of Proposed Road		
Id	Longitude	Latitude
1	80° 5' 31.87" E	29° 57' 12.53" N
2	80° 5' 33.8" E	29° 57' 7.74" N
3	80° 5' 38.95" E	29° 57' 3.1" N
4	80° 5' 48.9" E	29° 57' 1.93" N
5	80° 5' 53.04" E	29° 57' 2.33" N
6	80° 6' 2.39" E	29° 57' 3.93" N
7	80° 6' 4.07" E	29° 57' 0.48" N
8	80° 6' 10.24" E	29° 56' 56.57" N
9	80° 6' 20.04" E	29° 56' 53" N
10	80° 6' 21.39" E	29° 56' 51.47" N
11	80° 6' 27.67" E	29° 56' 49.73" N
12	80° 6' 32.76" E	29° 56' 49.38" N
13	80° 6' 36.68" E	29° 56' 48.59" N
14	80° 6' 40.3" E	29° 56' 47.69" N
15	80° 6' 47.26" E	29° 56' 44.18" N
16	80° 6' 49.57" E	29° 56' 43.03" N
17	80° 6' 51.78" E	29° 56' 40.42" N
18	80° 6' 53.18" E	29° 56' 40.58" N
19	80° 6' 55.37" E	29° 56' 37.95" N
20	80° 6' 56.96" E	29° 56' 37.91" N
21	80° 7' 4.11" E	29° 56' 32.75" N
22	80° 7' 8.63" E	29° 56' 31.43" N

Co-ordinates of Muck Disposal		
Id	Longitude	Latitude
1	80° 5' 33.16" E	29° 57' 9.24" N
2	80° 5' 40.12" E	29° 57' 3.19" N
3	80° 6' 1.65" E	29° 57' 4.93" N
4	80° 7' 3.92" E	29° 56' 33.39" N

Legend

- Muck disposal Sites
- GPS Coordinates of Proposed Road
- GPS Coordinates of Alternate Road
- Alternate Road
- Proposed Road
- Existing Road

1:15,000

0 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 km

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट (बागेश्वर)

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
कपकोट (बागेश्वर)

वन क्षेत्र अधिकारी

JE

परियोजना का नाम– जनपद बागेश्वर के अर्न्तगत रमाड़ी से मौनधूरा तक 3.00 किमी0 मोटर मार्ग हेतु 980 वृक्षों के रोपण हेतु प्राकलन मय रख–रखाव।

2–रोपित किये जान वाले पौधों की सं0–980 पौध।

3–रोपित किये जाने वाली पौधों की प्रजाति–बांज,फल्यांट,तेजपात,हरड़ आदि

क0सं0	कार्य विवरण	मात्रा	ईकाई	दर	धनराशि
	प्रथम वर्ष– अग्रिम मृदा कार्य				
1	साईड स्पेसिफिक प्लान (सर्वे डिमार्केशन, के0एम0एल0 फाईल तैयार करना, रूट स्टॉक की गणना कार्य, मृदा परीक्षण कार्य)	0.9	प्रति है0	1453.00	1307.70
2	क्षेत्र की सफाई	0.9	प्रति है0	1259.00	1133.10
3	घेरबाड़ कार्य	90	प्रति घमी0	679.00	61110.00
4	पौध की कीमत (20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित) 1320 पौध	1176	प्रति पौध	15.90	18698.40
5	गडडा खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45)	980	प्रति गडडा	15.80	15484.00
6	भूमि संरक्षण कार्य 1–कन्टूर फर्रे 450 र0मी0 (450x27=12150) (औसत साईज–1x0.30x0.30) 2– चाल–खाल 2 सं0 (2x5000=10000) (औसत साईज–4x2.5x1.00) कुल योग–22150	ल0स0	प्रति है0	25875.00	25875.00
7	निरीक्षण बटिया	0.9	प्रति है0	1046.00	941.40
				Total	124549.60
				Say	124500.00
8	वनीकरण क्षेत्र में अन्य वानस्पतिक भू0 व जल संरक्षण विकास एवं अनुरक्षण कार्य–2 प्रतिशत				2490.00
9	मूल्याकंन व अभिलेखीकरण–0.50 प्रतिशत				622.50
10	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य–0.50 प्रतिशत				622.50
11	अन्य आकस्मिक व्यय–2 प्रतिशत				2490.00
				Total	130725.00
	प्रथम वर्ष का योग				**130725.00**
	द्वितीय वर्ष– वृक्षारोपण कार्य				
1	गडडा भरान	980	प्रति गडडा	2.48	2430.40
2	कन्टूर फर्रो में बीज बुआई	405	प्रति र0मी0	1.50	607.50
3	पौध की कीमत (20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित) 1320 पौध	1176	प्रति पौध	2.70	3175.20
4	पौध ढुलान				
5	वाहन द्वारा 50 किमी0 दूरी से लोडिंग व अनलोडिंग सहित	1176	प्रति पौध	12.17	14311.92
6	सिरबोझ ढुलान 3 कि0मी0	1176	प्रति पौध	8.16	9596.16
7	पौध रोपण	980	प्रति पौध	4.44	4351.20
8	निराई–गुड़ाई प्रथम बार	980	प्रति पौध	1.64	1607.20
9	निराई–गुड़ाई द्वितीय बार	980	प्रति पौध	1.64	1607.20
10	खाद/रसायन	980	प्रति पौध	0.45	441.00
11	देख–रेख व रख–रखाव रोपण वर्ष में 8 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 8 माह)/5 है0=20568	0.9	है0	20568.00	18511.20
12	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	0.9	प्रति है0	318.00	286.20
13	वृक्षारोपण अन्तर्गत प्राकृतिक रूप से उगे पौधों में सिगलिंग–प्रूनिंग व थावलाबन्दी कार्य (100 प्रति है0)	90	प्रति है0	26.67	2400.30

14	वृक्षारोपण क्षेत्र अन्तर्गत प्रति है0 450 कटिंग का रोपण कार्य	405	प्रति है0	1.50	607.50
				Total	59932.98
				Say	59900.00
15	मूल्याकंन व अभिलेखीकरण–1.00 प्रतिशत				599.00
16	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य–0.50 प्रतिशत				299.50
17	अन्य आकस्मिक व्यय–2 प्रतिशत				1198.00
18	साईन बोर्ड लगाना (3X4 फीट)			L.S.	1000.00
				Total	62996.50
	द्वितीय वर्ष का योग				**62995.00**
	तृतीय वर्ष–अनुरक्षण कार्य (प्रथम वर्ष)				
1	देख–रेख व रख–रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0=30852	0.9	है0	30852.00	27766.80
2	20 प्रतिशत पौधों की क्षतिपूर्ति (पौध की कीमत व ढुलान का मूल्य रोपण कार्य रोपण श्रमिक द्वारा किया जायेगा) वास्तविक क्षतिपूर्ति अनुसार मौके पर कार्य किया जायेगा	196	प्रति पौध	38.93	7630.28
3	निराई–गुड़ाई मल्चिंग व थाववलाबन्दी प्रथम बार	980	प्रति पौध	1.64	1607.20
4	निराई–गुड़ाई मल्चिंग व थाववलाबन्दी द्वितीय बार	980	प्रति पौध	1.64	1607.20
5	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	0.9	प्रति है0	318.00	286.20
				Total	38897.68
				Say	38890.00
6	मूल्याकंन व अभिलेखीकरण–1.00 प्रतिशत				388.90
7	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य–0.50 प्रतिशत				194.45
8	अन्य आकस्मिक व्यय–2 प्रतिशत				777.80
				Total	40251.15
	तृतीय वर्ष का योग				**40250.00**
	चतुर्थ वर्ष–अनुरक्षण कार्य (द्वितीय वर्ष)				
1	देख–रेख व रख–रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0=30852	0.9	है0	30852.00	27766.80
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	0.9	प्रति है0	318.00	286.20
				Total	28053.00
				Say	28050.00
3	मूल्याकंन व अभिलेखीकरण–1.00 प्रतिशत				280.50
4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य–0.50 प्रतिशत				140.25
5	अन्य आकस्मिक व्यय–2 प्रतिशत				561.00
				Total	29031.75
	चतुर्थ वर्ष का योग				**29030.00**
	पंचम वर्ष–अनुरक्षण कार्य (तृतीय वर्ष)				
1	देख–रेख व रख–रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0=30852	0.9	है0	30852.00	27766.80
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	0.9	प्रति है0	318.00	286.20
				Total	28053.00
				Say	28050.00
3	मूल्याकंन व अभिलेखीकरण–1.00 प्रतिशत				280.50
4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य–0.50 प्रतिशत				140.25
5	अन्य आकस्मिक व्यय–2 प्रतिशत				561.00
				Total	29031.75
	पंचम वर्ष का योग				**29030.00**

	षष्टम वर्ष–अनुरक्षण कार्य (चतुर्थ वर्ष)				
1	देख–रेख व रख–रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0=30852	0.9	है0	30852.00	27766.80
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	0.9	प्रति है0	318.00	286.20
				Total	28053.00
				Say	28050.00
3	मूल्याकंन व अभिलेखीकरण–1.00 प्रतिशत				280.50
4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य–0.50 प्रतिशत				140.25
5	अन्य आकस्मिक व्यय–2 प्रतिशत				561.00
				Total	29031.75
	षष्टम वर्ष का योग				**29030.00**
	सप्तम वर्ष–अनुरक्षण कार्य (पंचम वर्ष)				
1	देख–रेख व रख–रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0=30852	0.9	है0	30852.00	27766.80
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	0.9	प्रति है0	318.00	286.20
				Total	28053.00
				Say	28050.00
3	मूल्याकंन व अभिलेखीकरण–1.00 प्रतिशत				280.50
4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य–0.50 प्रतिशत				140.25
5	अन्य आकस्मिक व्यय–2 प्रतिशत				561.00
				Total	29031.75
	सप्तम वर्ष का योग				**29030.00**
	अष्टम वर्ष–अनुरक्षण कार्य (षष्टम वर्ष)				
1	देख–रेख व रख–रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0=30852	0.9	है0	30852.00	27766.80
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	0.9	प्रति है0	318.00	286.20
				Total	28053.00
				Say	28050.00
3	मूल्याकंन व अभिलेखीकरण–1.00 प्रतिशत				280.50
4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य–0.50 प्रतिशत				140.25
5	अन्य आकस्मिक व्यय–2 प्रतिशत				561.00
				Total	29031.75
	अष्टम वर्ष का योग				**29030.00**
	नवम वर्ष–अनुरक्षण कार्य (सप्तम वर्ष)				
1	देख–रेख व रख–रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0=30852	0.9	है0	30852.00	27766.80
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	0.9	प्रति है0	318.00	286.20
				Total	28053.00
				Say	28050.00
3	मूल्याकंन व अभिलेखीकरण–1.00 प्रतिशत				280.50
4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य–0.50 प्रतिशत				140.25
5	अन्य आकस्मिक व्यय–2 प्रतिशत				561.00
				Total	29031.75
	नवम वर्ष का योग				**29030.00**
	दशम वर्ष–अनुरक्षण कार्य (अष्टम वर्ष)				
1	देख–रेख व रख–रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0=30852	0.9	है0	30852.00	27766.80
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	0.9	प्रति है0	318.00	286.20

				Total	28053.00
				Say	28050.00
3	मूल्यांकंन व अभिलेखीकरण–1.00 प्रतिशत				280.50
4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य–0.50 प्रतिशत				140.25
5	अन्य आकस्मिक व्यय–2 प्रतिशत				561.00
				Total	29031.75
	दशम वर्ष का योग				**29030.00**
	एकादश वर्ष–अनुरक्षण कार्य (नवम वर्ष)				
1	देख–रेख व रख–रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0=30852	0.9	है0	30852.00	27766.80
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	0.9	प्रति है0	318.00	286.20
				Total	28053.00
				Say	28050.00
3	मूल्यांकंन व अभिलेखीकरण–1.00 प्रतिशत				280.50
4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य–0.50 प्रतिशत				140.25
5	अन्य आकस्मिक व्यय–2 प्रतिशत				561.00
				Total	29031.75
	एकादश वर्ष का योग				**29030.00**
	द्वादश वर्ष–अनुरक्षण कार्य (दशम वर्ष)				
1	देख–रेख व रख–रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0=30852	0.9	है0	30852.00	27766.80
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	0.9	प्रति है0	318.00	286.20
				Total	28053.00
				Say	28050.00
3	मूल्यांकंन व अभिलेखीकरण–1.00 प्रतिशत				280.50
4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य–0.50 प्रतिशत				140.25
5	अन्य आकस्मिक व्यय–2 प्रतिशत				561.00
				Total	29031.75
	द्वादश वर्ष का योग				**29030.00**
	व्यय सार–:				
1	प्रथम वर्ष–अग्रिम मृदा कार्य				130725
2	द्वितीय वर्ष–वृक्षारोपण कार्य				62995
3	तृतीय वर्ष– अनुरक्षण कार्य (प्रथम वर्ष)				40250
4	चतुर्थ वर्ष– अनुरक्षण कार्य (द्वितीय वर्ष)				29030
5	पंचम वर्ष– अनुरक्षण कार्य (तृतीय वर्ष)				29030
6	षष्टम वर्ष– अनुरक्षण कार्य (चतुर्थ वर्ष)				29030
7	सप्तम वर्ष– अनुरक्षण कार्य (पंचम वर्ष)				29030
8	अष्टम वर्ष– अनुरक्षण कार्य (षष्टम वर्ष)				29030
9	नवम वर्ष– अनुरक्षण कार्य (सप्तम वर्ष)				29030
10	दशम् वर्ष– अनुरक्षण कार्य (अष्टम वर्ष)				29030
11	एकादश वर्ष– अनुरक्षण कार्य (नवम वर्ष)				29030
12	द्वादश वर्ष– अनुरक्षण कार्य (दशम् वर्ष)				29030
	योग प्रथम, द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्टम, सप्तम,अष्टम,नवम, दशम, एकादश व द्वादश वर्ष				**495240**

Rs. 4,95,240/-

980 पौधों के वृक्षारोपण हेतु कुल धनराशि–रू0– 495240

उपप्रभागीय वनाधिकारी
कपकोट

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत रमाड़ी से मनधूरा तक 3.00 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.990 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव संख्या –155585 / 2022) में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लगायी गयी आपत्ति के बिन्दु संख्या 05 में The proposed diversion area is 0.99 ha or say 1.00 ha. A site inspection report (SIR) of DFO is required to be submitted mentioning proper length of road in forest area. के क्रम में अवगत कराना है, कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 9.10.2024 को लोक निर्माण कपकोट एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी कपकोट के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमें उक्त मोटर मार्ग की लम्बाई 1100 मी0 के सापेक्ष 0.99 है0 क्षेत्र पाया गया।

उपप्रभागीय वनाधिकारी
कपकोट

(ध्रुव सिंह मर्तोलिया)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत रमाड़ी से मनधूरा तक 3.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु।

Check list for site inspection by the DFO/ DFO/CF/CCF/APCCF

Sl.No.	Particular	Comments of Inspecting Officer
1	Extent is hectares	0.990 ha
2	Location (Lat-long) of the forest land proposed for diversion.	N29°57'13.46" E80°5'31.53" N29°56'31.43" E80°7'8.63"
3	Legal status of the forest land (PF/RF/other types of forest land)	Civil Land – 0.720 ha Van Panchayat Land – 0.270 ha
4	Demarcation of the area with temporary cairns etc.	Yes
5	Any signs of encroachment.	No
6	Any activity already taken up within the forest land or adjoining non-forest land as part of the proposed project by the User Agency. Details of action taken against the User Agency in case of violation of the FC Act and guidelines there under.	No
7	Status of vegetation. Site quality, species composition etc..	Chir, Banj, Naspati, Falyat Burans, Kafal.
8	Importance of area from wildlife point of view. Status of wildlife (density and abundance of important species, bird life reptiles, butterflies and other scheduled animals, any endangered wildlife). Any latest census of wildlife in this area.	The forest is not high density area for wild life bird is Inhabitant by bear deer lebora etc.
9	Endemism of flora/fauna or any other unique ecosystem in the area.	No
10	Current land use is this area managed as per prescriptions in the Working Plan and if not why?	—
11	Importance of the area from historical or religious point of view.	Nil
12	Any dependent persons/families on this land.	Nil
13	Any displacement of persons proposed.	Nil
14	Is there any Rehabilitation and Resettlement Plan for the persons to be affected? Is there any dissenting voice among the persons proposed to be displaced?	Nil

15	Compensatory afforestation proposed is on forest or non-forest land. Location of this area, suitability of the area for CA. If in the degraded forest land then what is the current Working Plan prescription for the area? Distance of the non-forest land for CA from the nearest forest area. Number of patches in case the area should be more than to kms.	—
16	Proposed area should not be part of any protected area. Also distance from the boundary of the nearest protected area should be more than 10 Kms. area.	Not Part of Protected area. and nearest Protected area is more then 10Km away.
17	Dependence of tribals in the area. Whether the rights of the tribals have been recognized in this area.	No
18	Utility of the project, including the people living in close vicinity of the project.	There is no alternative route to Connect the villagers mentioned. Hence the Proposed road seems usefull for the villages.
19	In case of renewal whether all the conditions stipulated in the earlier sanction order have been complied with.	—
20	Alternatives examined by the User Agency in case of non-site specific projects.	Not Required
21	A certificate by the User Agency that the forest land requested for diversion for non- forestry purpose is bare minimum.	is attached
22	Any scope of saving tree growth while ensuring that the purpose for which the forest land is being diverted is also not adversely affected.	The Number of tree Proposed for felling are bare minium.
23	Any other issue of significance.	—
24	Specific recommendations of the DFO with reasons for the approval of the Project.	Recommended

Signature- [signature] 08.6

Name – Dhrub singh martoliya

Designatio – Divisional forest Officer

Seal- प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर